कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक / 611 / लायसेंस / 2017 रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर 2017

प्रति,

जिला प्रबंधक,
लोक सेवा प्रबंधन,
जिला कार्यालय रायसेन ।

विषय :— शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में ।

कृपया भारत सरकार का राजपत्र गृह मंत्रालय की अधिसूचना असाधारण–।। खण्ड–3 उपखण्ड–। प्राधिकार से प्रकाशित नई दिल्ली 15 जुलाई 2016 का ऑनलाईन अवलोकन करने का कष्ट करें ।

उक्त आयुध नियम 2016 अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में नियम 24 (1)(2)(3)(4)(5)(6) अनुसार प्रत्येक अनुज्ञप्ति उसकी समाप्ति पर और उसको प्रदान करते समय ऐसी शर्तो (यदि कोई हो) के अधीन रहते हुये पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति उपरांत ही नवीनीकरण प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जावेगा । नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन पत्र प्रारूप–क–3 (व्यक्तियों के लिये), प्रारूप–क–4 कम्पनियों के लिये होगा । शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण देय फीस के संबंध में IV तालिका–क भाग–1 अनुसार शुल्क प्राप्त किया जावेगा एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम संशोधन नियम दिनांक 14 जनवरी 2016 के अनुसार ई–स्टाम्प आवेदन के संलग्न करना होगा । साथ ही आवेदक से आधार कार्ड, एमपीईबी नोड्यूज या बिल, पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो आदि प्रस्तुत करना होगा ।

अतः सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्तानुसार नियम 24 एवं प्रारूपों की छायाप्रतियां संलग्न प्रेषित है । कृपया जिले में संचालित समस्त लोकसेवा गारंटी केन्द्रों को आज से ही उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अबिलम्ब सूचित करें ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

जिला दण्डाधिकारी
जिला दण्डाधिकारी
रायसेन

पृष्ठां.क्र. / 611 / लायसेंस / 2017 रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर 2017

प्रतिलिपि :—

सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग रायसेन की ओर भेजकर लेख है कि जिले के समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

जिला दण्डाधिकारी
जिला दण्डाधिकारी
रायसेन

प्रारूप क–3

(व्यष्टिकों के लिए)

:–प्रारूप 1,2,3 में अनुदत्त अनुज्ञप्तियों के लिए आयुधों के नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र :–

प्रारूप

(नियम 24 देखें)

प्रति,

श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय,

जिला– रायसेन (म0प्र0)

विषय :– शस्त्र लायसेंस अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र।

—00—

1.यू.आई.एन.डी. (18 अंकों में)....... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. नाम :– ....

3. पिता/माता/पति/पत्नि का नाम :–...

4. ईस्वी सन् में जन्म की तारीखः—

(क.) अंकों में :— ....

(ख.) शब्दों में :— ....

5. वर्तमान पता :— ....

क. दूरभाष (कार्यालय/निवास)..

ख. मोबाइल नम्बर :— | | | | | | | | | | |

ग. ई—मेल ....

घ. निकटतम पुलिस थाना :—...............................

6. व्यवसाय :—...

7. कार्यालय/कारोबार का पता :—..

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां और शस्त्र पृष्ठांकन

8. अनुज्ञप्ति संख्या ....

9. अवसान की तारीख......................................

10. क्षेत्रता वेधता ....

11. पृष्ठाकिंत आयुध आयुध 1 आयुध 2 आयुध 3

क. प्रकार (राइफल/शॉट गन/हैंड गन...

(रिवाल्वर/पिस्टल)..

ख. बोर/केलिवर...

ग. आयुध संख्यांक...

12. अनुज्ञप्ति गोला बारूद...................................... हार्टरिज गन पाउडर/परकशन

आवेदक की अन्य विशिष्टियां

13.	क्या अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक			
(क)	सिद्ध दोष हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे
				अपराध
				दंड
				दंड की तारीख
(ख)	शांति बनाए रखने या अच्छे आचरण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेशित किया गया है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे
				तारीख
				वह अवधि जिसके लिए बद्ध है
(ग)	आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन आयुध या गोलाबारूद रखने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे
				तारीख
				वह अवधि जिसके लिए प्रतिषिद्ध किया गया है
14.	क्या			
(क)	अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक की अनुज्ञप्ति कभी निलंबित या निरस्त/वापस ली गई है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे
				अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम
				कारण
(ख)	आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य कोई अन्य आयुध अनुज्ञप्ति रखता है, यदि हां तो उसकी विशिष्टियां	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे
				नाम
				अनुज्ञप्ति सं.
				पृष्ठांकित आयुध 1. 2. 3.
(ग)	आवेदक के पास आयुध और गोलाबारूद रखने के लिए सुरक्षित स्थान है	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे
(घ)	आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया है (जब भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू करवाया जाए)	हां	नहीं	यदि हां तो उसके ब्यौरे

//घोषणा//

मैं यह घोषणा करता हूँ, कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है, कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं, मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दायी हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान :–......................

दिनांक :–....................

//टिप्पणी//

छूट प्राप्त खिलाडी स्तभ 11 और 12 के सामने पृथक शीट में उनके द्वारा रखे गए आयुध और गोलाबारूद की सूची संलग्न करेंगे।

//चेतावनी//

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्रारूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

:–शस्त्र लायसेंस अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। :–

––00––

1. ई–स्टाम्प :–

   क. पिस्टल/रिवाल्वर 2000/– रूप्ये का।

   ख. अन्य समस्त प्रत्येक शस्त्र के लिए 1000/– रूप्ये का।

2. 30रूप्ये की लोकसेवा की रसीद संबंधित लोकसेवा केन्द्र से।

3. दो पासपोर्ट साइज के फोटो।

4. एमपीईबी नोड्यूज/ विजली का विल वर्तमान का।

5. 1500रूप्ये का मूल चालान. 0055 में जमा होगा।

6. आधार कार्ड.(अनिवार्य)।

7. मूल लायसेंस.।

सत्यापन

मैं, (आवेदक ---------------------------आत्मज श्री---------------------------

निवासी ग्राम-----------------------------------थाना---------------------------जिला रायसेन

का होकर सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित बिन्दु क्रमांक 01 से 09 तक मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी असत्य जानकारी नहीं दी गई है न ही तथ्यात्मक जानकारी को छुपाया गया है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो इस कारण मुझे लायसेंस हेतु अयोग्य माना जावे एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक ----------------

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -------------------------

पूरा पता ----------------------

-: पावती रसीद :-

नाम ---------------------------------आ0 श्री ------------------------------

निवासी --------------------------------------- थाना ---------------------------

तह0 ---------------जिला-रायसेन म.प्र. का लायसेंस क्र. -----------------------------

आगामी वर्षो के लिए नवीनीकरण हेतु दिनांक-------------------- को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
सील मोहर सहित

1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा ।

प्ररूप क-4

(कंपनियों के लिए)

प्ररूप 2, 3, 4 में अनुदत्त अनुज्ञप्ति(यों) के लिए नवीकरण हेतु आवेदन का प्ररूप

(नियम 24 देखें)

अनुज्ञप्तिधारी की पहचान

1. यूआईएन (16 अंक)
2. अनुज्ञप्तिधारी कंपनी का नाम
   (टिप्पण 1 देखें)
3. अनुज्ञप्तिधारी कंपनी का गठन
   पैन/सीआईएन
4. उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
5. अनुज्ञप्तिधारी कंपनी का पता

   दूरभाष सं. (कार्यालय)
   उत्तरदायी व्यक्ति की मोबाइल
   सं.
   ई-मेल
   निकटवर्ती पुलिस थाना

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां और शस्त्र पृष्ठांकन

6. अनुज्ञप्ति सं.
7. अवसान की तारीख
8. क्षेत्र वैधता

9.	पृष्ठांकित आयुधों की कुल संख्या			
10	आयुधों के ब्यौरे	1	2	
(क)	प्रकार (राइफल/शॉट गन/हैंड गन (रिवॉल्वर/पिस्टल))			
(ख)	बोर			
(ग)	आयुध संख्यांक	तीन से अधिक आयुधों के लिए पृथक सूची संलग्न की जाए		
11.	अनुज्ञात गोला-बारूद	कार्टरिज गन पाउडर/परकशन कैप्स		

आवेदक की अन्य विशिष्टियां

12.	क्या अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक या पदधारी या निदेशक या उत्तरदायी व्यक्ति--			
(क)	सिद्धदोष हुआ है (यदि उत्तर हां में है तो पृथक शीट में संलग्न करें)	हां	नहीं	<u>यदि हां तो उसके ब्यौरे</u> अपराध दंड दंड की तारीख
(ख)	आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन आयुध या गोलाबारूद रखने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है।	हां	नहीं	<u>यदि हां तो उसके ब्यौरे</u> तारीख वह अवधि जिसके लिए प्रतिषिद्ध किया गया है
13.	क्या--			
(क)	अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक की अनुज्ञप्ति कभी निलंबित या निरस्त/वापस ली गई है।	हां	नहीं	<u>यदि हां तो उसके ब्यौरे</u> अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम कारण
(ख)	आवेदक के पास आयुध और गोलाबारूद रखने के लिए सुरक्षित स्थान है	हां	नहीं	<u>यदि हां तो उसके ब्यौरे</u>
(ग)	कंपनी द्वारा नियुक्त धारकों ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया है (जब भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू करवाया जाए)	हां	नहीं	<u>यदि हां तो उसके ब्यौरे</u>

घोषणा :

मैं ....(स्तंभ 4 में नामित) उत्तरदायी व्यक्ति (कंपनी का नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी हूं।

कंपनी के निमित्त हस्ताक्षर करने वाले
उत्तरदायी व्यक्ति के मुहर के साथ हस्ताक्षर

टिप्पण:--

कंपनी का गठन वर्णित किया जाए--

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, सरकारी उपक्रम, सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, संस्थान, विश्वविद्यालय, भागीदारी फर्म, व्यक्तियों का संगम या किसी विशेष अधिनियम या अन्यथा के अधीन कोई अन्य निकाय।

चेतावनी:

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगा।

~~प्ररूप क-5~~

~~(व्यष्टिकों/टीमों या समूहों के लिए)~~

अनुसूची IV

(नियम 27 देखें)

तालिका क

अनुज्ञप्तियों के लिए देय फीसें

भाग 1 अर्जन और कब्जे के लिए धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्तियों को जारी करना				
क्रम सं०		अनुज्ञप्ति प्ररूप सं०	अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय पर अनुज्ञप्ति फीस	प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए नवीकरण फीस
1		2	3	4
1.	I		2000	1000
2.	II		1000	1000
3.	III, IV, V			
	(क)	हैंड गन- रिवाल्वर/पिस्टोल (निर्बंधित या अनुज्ञेय दोनों)	1000	500
	(ख)	केन्द्रीय फायर राइफल (सेमी आटोमेटिक) और श्रेणी I (ख) या I (ग) की कोई अन्य निर्बंधित अग्नि आयुध	1000	1000
	(ग)	ब्रीच लोडिंग सेंटर फायर राइफल (सेमी ओटोमेटिक नहीं)	1000	500
	(घ)	22 बोर रिम फायर राइफल (जिसके अंतर्गत सेमी आटोमेटिक भी है)	1000	500
	(ङ)	स्मूथ बोर ब्रीच लोडिंग शाटगन (जिसके अंतर्गत सेमी आटोमेटिक भी है)	1000	500
	(च)	वायु आयुध जिसके अंतर्गत एयर राइफल और एयर गन भी हैं, 20 जोल्स या 15 फीट एलबीएम से अधिक या 0.177" or 4.5 एमएम बोर से अधिक नाल मुख रखते हैं . आयुध प्रति कृति इलेक्ट्रानिक डिसएबलिंग डिवाइज 15 फीट से कम की फायरिंग रेंज रखते हैं । पांइट बाल मार्कर या गन खाली फायरिंग अग्नि आयुध भरी नालमुख (एमएल) गन उसके गोलाबारी द्वारा किसी डिजाइन किए गए अग्नि आयुध या शोर को कम करने के अनुकूल या चौंध के कारण के लिए सहायक उपकरण	1000	500
	(छ)	तलवार, संगीन, कटार और भाला बल्लम	500	100
	(ज)	अनुसूची 1 की श्रेणी 5 के आयुध (छ) में वर्णित के अलावा	500	100

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या राज्य में किसी नगरपालिक निकाय द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे की विषयवस्तु है, लिखत में दर्शित मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण—आठ.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए इजाजत और अनुज्ञप्ति अथवा कंडक्टिंग लाइसेंस का दस्तावेज, यदि वह स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हो और पट्टे की प्रकृति का हो, पट्टा विलेख माना जाएगा.";

(चार) अनुच्छेद ४१ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"४१क. शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति अर्थात् आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) के उपबंधों के अधीन शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज—

(क) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति—	
(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल	पांच हजार रुपए,
(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार	दो हजार रुपए,
(ख) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीकरण—	
(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल	दो हजार रुपए,
(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार	एक हजार रुपए.".

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. 818-15-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

24. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण** -(1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति उसकी समाप्ति पर और उसको प्रदान करते समय ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) के अधीन रहते हुए पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर नवीकरण प्राधिकारी के रूप में अनुसूची 2 में वर्णित प्राधिकारी द्वारा नवीकरण होगा :

परंतु इस प्रकार नवीकृत अनुज्ञप्ति नियम 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा द्वारा अनुज्ञप्ति के समुचित खाने में हस्ताक्षरित होगी।

(2) आयुध और गोला बारूद के लिए किसी अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में जिसमें विनिर्दिष्ट उक्त अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के कम से कम साठ दिन पूर्व, प्ररूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को फाइल होगा :

परंतु नियम 48 के उप नियम (1) के अधीन जमा किए गए आयुध और गोला बारूद की दशा में, जमाकर्ता द्वारा या तो नवीकरण आवेदन फाइल होगा जहां यह संभव नहीं है, आवेदन सीधे व्यवहारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल होगा जब कि आयुध या गोला बारूद का इस प्रकार जमा रहना जारी रहता है।

(3) किसी अनुज्ञप्ति को जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के सभी भविष्यकाल में नवीकरण निगरानी के लिए मामूली तौर पर उत्तरदायी होगा :

परंतु जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने निवास के स्थान छः मास से अधिक अवधि के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से परिवर्तन को अधिसूचित करता है, जिले के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को जिसमें ऐसा नवीकरण चाहा गया है, उक्त जिले का अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति के सभी भविष्यकालिक नवीकरण की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) किसी अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में जिसने उपनियम (3) के अधीन निवास के परिवर्तन को अधिसूचित किया है, नया नवीकरण प्राधिकारी नियम 17 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसरण में अपनी अधिकारिता के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के रजिस्टर करेगा और उसके नवीकरण को निष्पादित करेगा और उसके पश्चात् मूल जारी करने वाले या अंतिम नवीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदन पर उस समय विचार कर सकेगा, यदि उसके समाप्त होने की तारीख और आवेदन की तारीख के बीच की अवधि उसकी राय में, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए असम्यक रूप से दीर्घ नहीं है और सभी नवीकरण फीसों का संदाय कर दिया गया है; अन्यथा ऐसे आवेदन को नई अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा।

(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा सभी या किसी वर्ग के अग्न्यायुधों के संबंध में जारी किन्हीं अनुदेशों के अनुसार, इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से पूर्व आवेदक की निजी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट
(पुलिस विभाग द्वारा भरा जाएगा)

1. आवेदक का नाम		
2. पिता/पति-पत्नी का नाम		
3. वर्तमान पता		
वर्तमान पता का नज़दीक पुलिस थाना		
4. क्या आवेदन कभी दोषसिद्ध हुआ है ?	हाँ	नहीं
(क) यदि हां, अपराध, दंडादेश और दंडादेश की तारीख		
(ख) शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 के अधीन बंध पत्र के निष्पादन का आदेश किया गया है।	हाँ	नहीं
यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?		
(ग) किसी अपराध या गोलाबारूद उसके पास या ले जाने में अर्जन किए जाने से आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन निषिद्ध किया गया है।		
यदि हाँ, उसका ब्यौरा क्या है।		
5. क्या आवेदक का किसी से शत्रुता या झगड़ा है जिससे शांति भंग होने की संभावना है ? यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
6. क्या आवेदक का पता और जन्म तारीख का सत्यापन किया गया है ? ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
7. क्या आवेदक का व्यवसाय/कारबार का सत्यापन किया गया है ? ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
8. क्या पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत रजिस्टर्ड है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
9. क्या आवेदक किसी अपराध में संलिप्त रहा है ?	हाँ	नहीं
यदि हां, ब्यौरा दीजिए।		
10. क्या आवेदक किसी अपराध में गिरफ्तार हुआ था ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
11. क्या आवेदक का नाम पुलिस थाने के खराब चरित्र रजिस्टर में सूचीबद्ध है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, पुलिस थाने के अभिलेख के अनुसार ब्यौरा दीजिए।		
12. क्या आवेदक का नाम भारत सरकार के अन्य विभाग जैसे- सीबीआई, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि द्वारा किसी मामले में रजिस्ट्रीकृत किया गया है जिसमें पुलिस थाने के दैनिक डायरी रजिस्टर, समन, वारंट आदि में वर्णित पाया गया है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
13. क्या आवेदक ने पुलिस थाने में जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई शिकायत रजिस्ट्रीकृत कराई है ?	हाँ	नहीं
यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।		
14. किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक संगठन जिसमें आवेदक सदस्य है का ब्यौरा		

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक द्वारा जमा किए गए आयुध अनुज्ञप्ति दान करने के लिए आवेदन प्ररूप की विषय-वस्तुओं को चैक कर लिया है।

तारीख

मोहर

हस्ताक्षर
थाना प्रभारी
पुलिस थाना